



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175114

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29281 वर्ष 2026

भागवाली राजपूत

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: वैभव गुप्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक की ओर से आज दाखिल अनुपूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता वैभव गुप्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री एस.के. त्रिपाठी तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री शत्रुघ्न यादव को सुना गया।
3. वर्तमान आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 279 वर्ष 2025, धारा 103(1) बी.एन.एस., थाना चरखारी, जिला महोबा में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आरोप के अनुसार आवेदक ने अपने पिता की हत्या की, किंतु घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी विवरण नहीं है और यह परिलक्षित होता है कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



केवल संदेह के आधार पर सूचनादाता, जो आवेदक का बड़ा भाई है, ने उसे वर्तमान मामले में आरोपित किया है।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि संदेह एवं एक ईट की बरामदगी के अतिरिक्त, अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विचारण के दौरान भी सूचनादाता एवं उसके पुत्र ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा उनके बयान वर्तमान जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र एवं अनुपूरक शपथपत्र के साथ संलग्न किए गए हैं।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 28.12.2025 से जेल में निरुद्ध है।

8. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्क का खंडन नहीं कर सके।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

10. तथापि, आरोप के अनुसार आवेदक ने अपने पिता को ईट से चोट पहुंचाकर उनकी हत्या की, किंतु यह परिलक्षित होता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और आवेदक के विरुद्ध संदेह एवं उसकी निशानदेही पर एक ईट की बरामदगी के अतिरिक्त अभिलेख पर कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. आगे, यह भी परिलक्षित होता है कि विचारण के दौरान सूचनादाता, जो आवेदक का बड़ा भाई है, तथा उसके पुत्र ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है।
12. आगे, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह लगभग पिछले आठ माह से जेल में निरुद्ध है।
13. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
14. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
15. आवेदक-**भागवाली राजपूत** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-
- (i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
 - (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



16. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

19 अगस्त, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”